राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन
2015-16

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0

1. निगम की स्थापना

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार की वर्ष 2010–11 की बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ बनाने हेतु राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 की दिनांक 08.12.2010 को स्थापना की गई थी।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 का रजिस्ट्रेशन दिनांक 08.12.2010 को कंपनी एक्ट की धारा 617 के अन्तर्गत किया गया है तथा रजिस्ट्रार, कम्पनी मामलें, राजस्थान जयपुर से दिनांक 27.12.2010 को निगम द्वारा व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया।

2. निगम की अंश पूँजी

निगम की अधिकृत अंश पूँजी 100 करोड रूपये है। वर्तमान में प्रदत्त अंश पूँजी 50 करोड रूपये है। 50 करोड रूपये के अंशों में से 49.93 करोड रूपये के अंश महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम हैं तथा शेष 7.00 लाख रूपये के अंश निगम के सात निदेशकों के नाम है।

3. निगम का संचालक मण्डल

क्र.सं.	पद नाम	संचालक मण्डल में पद
1.	प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	अध्यक्ष
2.	प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग	निदेशक
3.	प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	निदेशक
4.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	निदेशक
5.	संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय–I) विभाग	निदेशक
6.	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं	निदेशक
7.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि.	निदेशक

4. निगम के विगत चार वर्षो के वित्तीय परिणाम

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15 (अनन्तिम)
1.	Profit before interest & Depreciation	1419.64	1369.96	944.25	1185.25
2.	Less: interest	Nil	Nil	Nil	688.15
3.	Operational Profit/Loss	1419.64	1369.96	944.25	497.10
4.	Less: Depreciation	2.90	49.41	40.71	60.87
5.	Profit/Loss after interest & Depreciation	1416.74	1320.55	903.54	670.51
6.	Profit/Loss for appropriation	925.72	861.29	504.63	436.23

5. निगम के कार्य एवं उद्देश्य

5.1 निगम भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाव कर पूरे प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करेगा। निगम परिवहन व आपूर्ति हेतु आवश्यक निविदायें एवं ठेके आदि की कार्यवाही सम्पन्न करेगा।

5.2 राज्य के उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु निगम गैर पी.डी.एस. सामग्री, बडे निर्माताओं (Manufacturers) से क्रय कर बाजार से सस्ते दामों पर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करायेगा।

5.3 चूंकि उचित मूल्य की दुकानों पर प्रभावी आपूर्ति एवं व्यवस्था बनाना निगम का दायित्व होगा, अतः निगम तहसील स्तर पर जहॉ केन्द्रीय भण्डारण निगम या राज्य भण्डारण निगम के गोदाम उपलब्ध नही है वहॉ राशन सामग्री के भण्डारण हेतु गोदाम आदि किराये पर लेने की व्यवस्था करेगा। लेकिन जहॉ पर राज्य भण्डारण निगम किराये पर गोदाम लेकर किराये पर उपलब्ध कराने की स्थिति में होगा, वहॉ पर निगम भण्डारण हेतु स्वयं गोदाम किराये पर नहीं लेगा।

5.4 निगम राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगा।

5.5 बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं जैसे दलहन, खाद्य-तेल, चीनी आदि के दाम बढने पर निगम बाजार में हस्तक्षेप कर इन उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराने का कार्य करेगा।

5.6 इसके साथ ही निगम उचित मूल्य की दुकानों पर राशन सामग्री के अतिरिक्त गैर पी.डी.एस. सामग्री जैसे आयोडाइज्ड नमक, चाय, वांशिग सोप, पिसे हुए मसालें

आदि भी उपलब्ध कराता है ताकि आम उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुएं प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर प्राप्त हो सके।

5.7 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अन्तर्गत अन्य कार्य भी करेगा।

6. निगम में स्वीकृत पदों की स्थिति

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा दिनांक 24.11.2010 को निगम के त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचे के लिए पदों एवं सेवाओं के सृजन की स्वीकृति जारी की गई। निगम मुख्यालय हेतु स्वीकृत/कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	कार्यालय स्तर	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिक्तियों के कारण अस्थाई व्यवस्था के रूप में कार्यरत कार्मिक
1.	निगम कार्यालय (मुख्यालय)	59	21	38	62
2.	जिला कार्यालय	272	216	56	—
3	तहसील स्तर	488	70	418	—

7. निगम का थोक व्यापार

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न आपूर्ति हेतु निगम को राज्य सरकार द्वारा थोक विक्रेता घोषित किया गया है। निगम का तहसील स्तर पर कोई कार्यालय नही होने के कारण जिलों में तहसील स्तर पर पूर्व से ही कार्यरत थोक विक्रेता अर्थात क्रय–विक्रय सहकारी समिति, सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार एवं राजस्थान जनजाति क्षेत्रिय सहकारी विकास संघ लि0 के द्वारा निगम के प्रतिनिधि के रूप में खाद्यान्न उठाव एवं आपूर्ति का कार्य किया जा रहा है परन्तु कोटा, बांरा एवं दौसा (सम्पूर्ण जिला) व धौलपुर जिलें की पॉच एवं बूंदी जिले की दो तहसीलों में पूर्व से कार्यरत थोक विक्रेता (सहकारी संस्थाओं) द्वारा कार्य नही करने के कारण निगम के प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति के माध्यम से पीडीएस खाद्यान्न की एफपीएस पर आपूर्ति का कार्य किया जा रहा है। खाद्य विभाग द्वारा निगम को राज्य स्तरीय थोक विक्रेता नियुक्त कर नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली

8.1 गेहूँ की आपूर्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् खाद्य विभाग के द्वारा आवंटित खाद्यान्न/चीनी का उठाव कर उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति किये जाने हेतु राजस्थान

राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 को सम्पूर्ण राज्य के लिए नोडल ऐजेन्सी नियुक्त किया हुआ है। वर्तमान में चीनी का उठाव एवं आपूर्ति निगम के द्वारा प्रदेश के सम्पूर्ण जिलों में की जा रही है। खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत खाद्यान्न उठाव का कार्य माह अक्टूबर 2013 से प्रारम्भ हुआ है।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 का सम्पूर्ण राज्य में आपूर्ति व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से बनाये रखने के लिए खाद्य विभाग की पूर्व स्वीकृति के उपरान्त प्रदेश की अन्य सभी जिलों की एक–एक तहसील से थोक–विक्रेता का कार्य के.वी.एस.एस. से हटाया जाकर निगम के माध्यम से किये जाने हेतु पायलट योजना के रूप में करने का निर्णय लिया गया है।

8.2 चीनी आपूर्ति

1. पीडीएस के तहत 1 अप्रैल, 2012 से पूर्व चीनी की आपूर्ति राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर के माध्यम से लेवी चीनी के रूप में की जाती थी। इसके अन्तर्गत चीनी का आवंटन सीधे भारत सरकार द्वारा खाद्य विभाग, राज्य सरकार को किया जाता था तथा राज्य सरकार राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर को करती थी। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर भारत सरकार द्वारा आवंटित चीनी मिलो को राशि जमा करवाकर संबन्धित समिति/भण्डार को चीनी उपलब्ध करवाता था। समिति/भण्डार द्वारा उचित मूल्य के दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किये जाने हेतु चीनी आपूर्ति की जाती थी।

2. 01अप्रैल, 2012 से राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर द्वारा की जा रही लेवी चीनी आपूर्ति की व्यवस्था राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर को हस्तान्तरित कर दी गई जो 31.05.2013 तक जारी रही।

3. केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2013 से चीनी को लेवी से नियंत्रण मुक्त किया गया है। राज्यों को पारदर्शिता के साथ खुले बाजार से चीनी क्रय कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लक्षित वर्ग को उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किये गये है। राज्य को प्रतिमाह 7342.00 मै. टन एवं वर्ष में एक बार त्यौहारी कोटा का 5092 मै. टन अतिरिक्त आवंटन प्राप्त होता है। इस प्रकार कुल वार्षिक आवंटन 93196 मै. टन प्राप्त होता है।

4. नई व्यवस्था के तहत चीनी के आवंटन एवं उठाव का विवरणः– जून 2013 से नवम्बर 2015 तक कुल 235536 मै. टन चीनी के आवंटन के विरूद्ध सम्पूर्ण चीनी 235536 मै. टन चीनी का उठाव निगम द्वारा किया गया है।

5. हनुमानगढ एवं श्रीगंगानगर जिले के लिए माह अक्टुबर, 2014 से चीनी की आपूर्ति राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लि., श्रीगंगानगर से अनुमोदित न्यूनतम निविदादाता की दरों पर ही की जाती है।

6. चीनी का वितरण 13.50 रूपये प्रति किलो की दर से उपभोक्ताओं को किया जा रहा है। इसकी आपूर्ति पर निम्नानुसार मार्जिन राशि देय है :–

क्र.सं.	संस्था	विवरण	राशि (प्रति क्विं.) रू.
1	आपूर्ति निगम	कमीशन	17.80
2	क्रय विक्रय सहकारी समिति	कमीशन	11.00
3	उचित मूल्य दुकानदार	कमीशन व परिवहन	19.49 (11.99+7.50)

7. चीनी वितरण योजना अन्तर्गत 18.50 रुपये प्रति किलो की दर से भारत सरकर द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। पात्र उपभोक्ताओं को चीनी 13.50 रु. प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराई जाती है।

9. गैर पी.डी.एस. वस्तुओं का विपणन कार्य

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु नॉन पीडीएस सामग्री के अन्तर्गत विभिन्न सामग्री उपलब्ध करवाने के संबंध में कार्यवाही की गई। राज्य में गैर पी.डी.एस. वस्तुओं की उपभोक्ताओं को उचित दरों तथा उच्च गुणवत्ता में निर्बाध आपूर्ति हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार निगम द्वारा गैर पीडीएस वस्तुओं के उत्पादनकर्ता/निर्माताओं एवं थोक विक्रेताओं से प्रथम चरण में आयोडीनयुक्त नमक, चाय एवं साबुन को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को वितरण करने हेतु आवश्यक निविदायें जारी की गई। प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम मूल्य पर चाय एवं आयोडाईज वाश नमक आपूर्ति करने वाली कंपनी/फर्मो को आपूर्ति हेतु निम्न दरों पर कार्यादेश दिनांक 27.01.2015 को दिए गए :–

क्र.सं.	सामग्री का नाम	दर (रूपये प्रति किलो ग्राम)
1.	नमक	7.00
2.	चाय	160 (रूपये 40/– प्रति 250 ग्राम पैकिट)
3.	लाल मिर्च पाउडर	145 (रूपये 29/– प्रति 200 ग्राम पैकिट)
4.	हल्दी पाउडर	135 (रूपये 27/– प्रति 200 ग्राम पैकिट)
5.	धनियॉ पाउडर	150 (रूपये 30/– प्रति 200 ग्राम पैकिट)

उपरोक्त सामग्री की मार्च 2015 से दिसम्बर 2015 तक की माहवार आपूर्ति निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	सामग्री	माहवार आपूर्ति मै. टन										
		मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	योग
1.	चाय	151.375	206.75	208.425	119.150	132.775	125.875	71.225	82.875	160.475	159.765	1220.315
2.	मसाले	97.980	99.510	121.338	96.302	97.730	91.955	85.580	103.456	91.010	100.454	980.307
3.	नमक	0	114.1	314.1	97.5	18.6	67.2	568.0	405.00	395.00	478.00	2457.00

आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ई.पी.ए. की राशि निम्नानुसार जमा करवाई गई :–

क्र. सं.	सामग्री	माहवार ई.पी.ए. की राशि रूपये में										
		मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	योग
1.	चाय	329008	2617763	2617763	2617763	2617763	2078506	842244	842244	329008	842244	15918534
2.	मसाले	0	569172	593016	569172	356053	356053	356053	356053	223474	153630	4106290
3.	नमक	0	178956	165413	184763	189260	0	306720	218700	213300	258120	1715234
महायोग												21740058

10. अन्नपूर्णा भण्डार योजना

जनसाधारण को उच्च गुणवत्ता की मल्टी ब्राण्ड उपभोक्ता वस्तुऐं प्रतिस्पर्धी दरों पर उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अन्नपूर्णा भण्डार योजना लागू की गई है।

योजना के मुख्य बिन्दु

- अन्नपूर्णा भण्डार योजना देश में सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण की एक अनूठी योजना है।
- इसके अन्तर्गत उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्तायुक्त मल्टी ब्राण्ड उपभोक्ता वस्तुएँ उचित एवं प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर प्राप्त होंगी।
- यह देश का एक बहुत बडा उद्यमशीलता अभियान है जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में राज्य भर में पाँच हजार उचित मूल्य की दुकानो के डीलर्स उद्यमियों के रूप में कार्य करेंगे।
- बेचे जाने वाले सामान पर उचित मूल्य के दुकानदार को 40 प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा तथा शेष 60 प्रतिशत लाभ उपभोक्ताओं को दरों में छूट के रूप में प्राप्त होगा।
- उचित मूल्य दुकानदार द्वारा आपूर्तिकर्ता फर्म को 10 दिन के अन्दर भुगतान करना होगा। नगद भुगतान पर उचित मूल्य दुकानदार को 02 प्रतिशत तक "नगद भुगतान छूट" प्राप्त होगी।
- इस नवाचार के माध्यम से लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली व आधुनिक खुदरा व्यापार प्रणाली का दोहरा लाभ प्राप्त होगा।

कार्य–योजना :

- योजना के अन्तर्गत मै0. फ्यूचर कन्ज्यूमर एन्टरप्राइज लि0, मुंबई अनुमोदित आपूर्तिकर्ता के रूप में चयनित हुए है।
- राज्य में माह सितम्बर, 2015 से योजना का कियान्वयन शुरू हो चुका है।
- योजना का क्रियान्वयन राज्य में प्रत्येक संभाग (अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर) पर चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

- जयपुर, जोधपुर व उदयपुर संभाग में प्रत्येक में 1000 उचित मूल्य की दुकानें अन्नपूर्णा भण्डार के रूप में चयनित है तथा अजमेर, भरतपुर, बीकानेर व कोटा संभाग में प्रत्येक में 500 उचित मूल्य की दुकानें चयनित हैं।
- योजना के उचित क्रियान्वयन हेतु चयनित उचित मूल्य के दुकानदारों को मै0. फ्यूचर कन्ज्यूमर एन्टरप्राइज लि0 द्वारा का आधुनिक खुदरा व्यापार प्रबन्धन में प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।

योजना के लाभ

- योजना के अन्तर्गत जनसाधारण को उच्च गुणवत्तायुक्त मल्टी ब्राण्ड उपभोक्ता वस्तुएँ उचित एवं प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर उपलब्ध होंगी।
- इसके अन्तर्गत उपभोक्ताओं को 45 तरह के लगभग 150 से अधिक प्रकार के उत्पाद जिनमें मुख्य रुप से खाद्य तेल, घी, दालें, अचार, गुड़, बिस्किट, मसाले, सौन्दर्य प्रसाधन, साबुन, डिटर्जेन्ट्स, शैम्पू, टूथपेस्ट, पेन, नोट बुक, बल्ब, माचिस, चप्पल, फिनायल, टॉयलेट क्लीनर्स इत्यादि की आपूर्ति की जाएगी।
- इन उत्पादो की एम.आर.पी. पर उचित मूल्य के दुकानदारों को न्यूनतम 2 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक अधिकतम छूट प्राप्त होगी।
- इस योजना के तहत आधुनिक व्यापार पद्धतियों द्वारा उचित मूल्य के दुकानदारों की क्षमता एवं संभावनाओं का विकास किया जाएगा।
- अन्नपूर्णा भण्डार राज्य में "रूरल मॉल्स" के रूप में कार्य करेंगे।
- भविष्य में अन्नपूर्णा भण्डारो पर उचित मूल्य की दुकानों के साथ साथ मिनी बैंक, खाद--बीज भण्डार इत्यादि की सुविधाएँ उपलब्ध होगी।

अन्नपूर्णा भण्डार पर उपलब्ध वस्तुएँ

खाद्य तेल	हेयर ऑयल	टूथब्रश
घी	शैम्पू	रेजर
अनाज	टूथपेस्ट	पेन
दालें	रवा, मैदा, बेसन	चप्पल
ड्राई फ्रूट्स	साबूदाना	फिनायल
नूडल्स	भुजिया	टॉयलेट क्लीनर्स
बिस्किट	मसाले	अगरबत्ती
केन्डीज	गुड	माचिस
वेफर्स	बूरा	वेक्स पॉलिश
कॉफी	मिश्री	चाकू
सौंदर्य प्रसाधन सामग्री	सॉस	नोट बुक
साबुन	अचार	कंघा
डिटरजेन्ट बार	शहद	मोमबत्ती
डिटरजेन्ट पाउडर	पापड़	बल्ब
टेल्कम पाउडर	पोहा, बिउड़ा	मोस्किटो रिपैलेन्ट्स

योजना क्रियान्वयन के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों पर अब तक की प्रगति निम्नानुसार है:–

- माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार के कर कमलों के द्वारा दिनांक 31.10.2015 को जयपुर जिले के ग्राम भम्भौरी, कालवाड़ रोड़ जयपुर पर अन्नपूर्णा भण्डार का शुभारम्भ किया जा चुका है।
- योजना का राज्य में पूर्ण रूप से प्रचार–प्रसार हो तथा आमजन को योजना के बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके, इस हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए "अन्नपूर्णा भण्डार योजना" की जानकारी प्रदर्शित करने वाला ब्रोशर छपवाया गया है जिसका माननीया मुख्यमंत्री महोदया के कर कमलों से विमोचन किया जा चुका है।
- वर्तमान में 203 अन्नपूर्णा भण्डार संचालित हो चुके है।
- राज्य में दिनांक 06.01.2016 तक 762 दुकानों पर कलर पेंट एवं फर्नीचर लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा वर्तमान में सितम्बर, 2015 से मार्च 2016 तक प्रथम चरण में निम्नानुसार योजना का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित किया है।

क्र.सं.	संभाग का नाम	जिला का नाम	दुकानों की संख्या
1	जयपुर	1. जयपुर	118
		2. सीकर	206
		3. झुन्झूनू	125
		4. दौसा	186
		5. अलवर	325
2	अजमेर	1. नागौर	125
		2. टोंक	61
3	कोटा	1. बांरा	89
		2. झालावाड	125
		3. कोटा	112
4	बीकानेर	1. चुरू	132
5	उदयपुर	1. उदयपुर	227
		2. चित्तौडगढ	225
		3. राजसमंद	122
6	भरतपुर	1. भरतपुर	186
कुल		15	2364

- शेष जिलों में अन्नपूर्णा भण्डार योजना हेतु आपूर्ति कर्ता फर्म द्वारा शीघ्र कार्ययोजना बनाई जाकर जून 2016 तक सम्पूर्ण राजस्थान में क्रियान्वति की जायेगी।

क्र.सं.	संभाग का नाम	जिला का नाम	दुकानों की संख्या
1	अजमेर	1. अजमेर	151
		2. भीलवाडा	124
2	जोधपुर	1. जोधपुर	337
		2. सिरोही	90
		3. पाली	170
		4. जालौर	140
		5. जैसलमेर	70
		6. बाडमेर	230
3.	भरतपुर	1. करौली	108
		2. धौलपुर	101
		3. सवाई माधोपुर	204
4	बीकानेर	1. श्री गंगानगर	142
		2. हनुमानगढ	113
		3. बीकानेर	301
5	उदयपुर	1. प्रतापगढ	58
		2. डूंगरपुर	94
		3. बांसवाडा	120
6	कोटा	1. बूंदी	113
कुल		18	2666

11. विकेन्द्रीकृत खरीद योजनान्तर्गत (DCP) अलवर जिले में रबी विपणन वर्ष 2013–14, 2014–15 व 2015–16 में गेहूँ खरीद :–

राज्य में किसानों को खाधान्न उत्पादन का उचित मूल्य मिले, इस हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय पूल में खरीद किये जा रहे गेहूँ की भाँति रबी विपणन वर्ष 2013–14 से प्रायोगिक तौर पर पॉयलेट परियोजनान्तर्गत अलवर जिलें में गेहूँ खरीद का कार्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य सम्पन्न MOU के तहत राज्य सरकार ने

निगम को नोडल एजेन्सी, राजफैड को निगम के मार्फत गेहूँ खरीद करने हेतु "खरीद एजेन्सी" तथा राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम को "भण्डार एजेन्सी" का दायित्व सौंपा गया। जिलें में गेहूँ खरीद हेतु निम्नलिखित क्रय केन्द्र स्थापित किये गये :–

(मैट्रिक टन में)

क्र. स.	वर्ष	जिलें में स्थापित कय केन्द्रों की संख्या	गेहूँ खरीद हेतु निर्धारित लक्ष्य	वास्तव में खरीद किये गये गेहूँ की मात्रा
1	2013–14	35	1.50 लाख	54,936.90
2	2014–15	37	0.80 लाख	88989.00
3	2015–16	32	0.60 लाख	63836.80

11.1 किसानों का पंजीयन :–

अलवर जिलें में किसानों को उसकी उपज का ऑन–लाईन भुगतान करने हेतु गेहूँ खरीद का प्रोजेक्ट तैयार करने में निगम द्वारा एनआईसी का सहयोग लिया गया। इस बाबत NIC को निगम द्वारा रबी विपणन वर्ष 2013–14 में 22.44 लाख रूपये तथा 2014–15 में रूपये 24.00 लाख का भुगतान किया गया। व्यापक प्रचार–प्रसार ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया गया।

11.2 वित्तीय सहायता :–

राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप बोनस राशि रूपये 150/– प्रति क्विं. की दर से वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में घोषित किया गया।

11.3 भण्डारण व्यवस्था :–

रबी विपणन वर्ष 2013–14 में भण्डारण हेतु "राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम" (भण्डारण एजेन्सी) से निगम द्वारा अलवर एवं अलवर जिले के आसपास जिलों में 1,11,200 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों को एक वर्षीय आरक्षण पद्धति के तहत दिनांक 01.04.2013 से 31.03.14 की अवधि के लिए भारत सरकार अथवा राज्य भण्डार व्यवस्था निगम की दर/शर्तों (इनमें से जो भी कम हो) पर आरक्षित कराया गया। वर्तमान में भारत सरकार की एक वर्षीय गोदाम आरक्षण दर, रूपये 3.38 प्रति 50 किलोग्राम (6.76 प्रति क्विं.) प्रतिमाह है, जो दिनांक 01.04.2012 से प्रभावी है। वर्ष 2014–15 में राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के माध्यम से वास्तविक उपयोगिता (AUB) के आधार पर अलवर एवं उसके समीपस्थ जिलों में 75,430.00 मैं. टन तथा केन्द्रीय भण्डार व्यवस्था निगम के 5550.000

मैट्रिक टन क्षमता के सरकारी/निजी क्षेत्र के गोदामों को आरक्षित कराया गया। वर्तमान में वास्तविक उपयोगिता (AUB) के आधार पर आरक्षित गोदामों को किराया राशि रूपये 5.15 प्रति 50 किलोग्राम प्रतिमाह (रूपये 10.30 प्रति क्विं. प्रतिमाह) हैं। निगम द्वारा आरक्षित कराये गये गोदामों एवं उनमें संग्रहित खाद्यान्न (गेहूँ) का विवरण निम्न सारणी में प्रदर्शित किया जा रहा है :—

(मैट्रिक टन में)

वर्ष	आरक्षित गोदामों का स्थान	गोदामों की क्षमता	खरीद किये गये गेहूँ की मात्रा	संग्रहित खाद्यान्न की मात्रा	रिक्त भण्डारण क्षमता	क्षमता से अधिक संग्रहित खाद्यान्न की मात्रा
2013—14	अलवर, भरतपुर, बयाना, नदबई, बान्दीकुई, लालसोट, एमएम रोड, हिण्डौन सिटी तथा खैरथल	1,11,200.000	54,936.900	54,926.939	56,273.061	—
2014—15	अलवर, बान्दीकुई, हिण्डौन, एमएम रोड खैरथल, नदबई, तथा भरतपुर	80,980.000	88,989.000	88,497.820	-	7517.82
2015—16		65,700.000	63836.800	63,836.800	1863.200	—

11.4 विकेन्द्रीकृत खरीद योजनान्तर्गत (DCP) अलवर जिलें में खरीदे गए गेहूँ का क्रय/विक्रय से प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

Year	Wheat Procured (In Qntl.)	Storage gain (In Qntl.)	Total (In Qntl.)	Wheat Sold (In Qntl)	Rate of Sale (per Qntl)	Amount Receive (in Rs)	Remark
2013&14	549369.00	3490.00	552859.00	552859.00	Rs. 200/-	110571638/-	
2014&15	889890.00	1677.14	889890.00	853839.15	Rs. 200/-	170767830/-	-
2015&16	638368.00	674.78	639042.78	637053.32	Rs. 200/-	127410664/-	गेह 12/15 तक उठाव

11.5 निगम ने रबी विपणन वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 के विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्तर्गत समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीद के क्लेम भारत सरकार को प्रेषित किए है, जिनके क्रम में प्राप्त राशि एवं बकाया दावों का विवरण निम्नानुसार है:–

Year	Claims sent to GOI	Period	Wheat (In MTS)	Amount of claim (in Crors)	Amount received From GOI (in Crors)	Amount yet to be received from GOI (in Crors)	Remarks
2013&14	III rd Quarter to ivth Quarter	Octber 2013 to Feb 2014	55285.900	88.73	77.63	11.10	Final Claim sent to GOI
2014&15	II nd Quarter to ivth Quarter (Provisional)	July 2014 to March, 2015	88665.520	135.65	135.31	0.34	-
	Final bill	July 14 to march 15	88665.534	3.82 Approx	-	3.82	Bill yet to be submitted for finalization of Balance sheet 2014-15.
2015&16	IIIrd Quarter	Oct 15 to Dec. 15	63705.332	100.44	NIL	100.44	Provisional bill is submitted.

11.6 वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणा अनुसार निगम द्वारा गेहूँ खरीद हेतु प्राप्त एवं व्यय की गई बोनस राशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

Year	Amount received from state Government			Amount spent/returned/yet to be returned to State Government	
	Head	Amount (in Crors)	Amount (in Crors)	Amount returned (in Crors)	Amount yet to be returned
2013&14	Bonus	299.80	190.25	109.55	NiL
2014&15	Bonus	323.83	323.11	0.72	NiL
2015&16	Bonus	NIL	NiL	NIL	NIL

12. बजट घोषणा – वर्ष 2015–16

कुपोषण की प्रभावी रोकथाम के लिए **micro nutrient** यथा **Na (Sodium) Fe (Iron) EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetate Trihydrate), Folic Acid** व विटामिन बी 12 से **fortified** आटा, विटामिन ए व डी से **fortified** खाद्य तेल एवं आईरन तथा आयोडिन युक्त **double fortified** नमक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जायेगा।

1. आयरन तथा आयोडीनयुक्त डबल फोर्टीफाइड नमक की आपूर्ति:

वर्तमान में डबल फोर्टीफाइड नमक का राजस्थान में व्यापक स्तर पर उत्पादन नहीं किया जा रहा है। मै. साम्भर साल्ट लि. द्वारा हाल ही में डबल फोर्टीफाइड नमक का उत्पादन प्रारम्भ किया गया है। निगम द्वारा सभी सम्बन्धित संगठनों, नमक उत्पादकों,

एनजीओं आदि के साथ मीटिंग आयोजित कर तथा निविदा प्रपत्र को सांझा कर निविदा सूचना जारी की गई। राजस्थान के नमक उत्पादकों को डबल फोर्टीफाइड नमक से सम्बन्धित आवश्यक तकनीकी जानकारी विषय विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध करवाने हेतु दिनांक 18.06.2015 को एक कार्यशाला आयोजित की गई। डबल फोर्टिफाइड नमक आपूर्ति हेतु सफल निविदादाताओं को आपूर्ति हेतु कार्यादेश दिनांक 21.01.2016 को जारी किये गये है।

2. विटामिन ए तथा डी युक्त फोर्टीफाइड खाद्य तेलों की आपूर्ति :

विटामिन ए तथा डी युक्त फोर्टीफाइड खाद्य तेल की प्रोसेसिंग में मात्र 8–10 पैसे प्रति लीटर का अतिरिक्त व्यय होता है। वर्तमान में प्रोमिनेन्ट उत्पादकों – कारगिल, अडाणी विलमार, रूचि सोया आदि द्वारा खुले बाजार में उनके ब्रान्ड में फोर्टीफाइड तेल का उत्पादन एवं विक्रय किया जा रहा है। अन्राष्ट्रीय संस्था गेन (Global Alliance for Improved Nutrition) के सहयोग द्वारा कोटा–बून्दी जिलों में फोर्टीफाइड तेल के उत्पादन हेतु 30.09.2015 तक आवश्यक तकनीकी सहयोग आदि प्रदान किया गया।

3. आयरन, फोलिक एसिड तथा विटामिन डी युक्त फोर्टीफाइड आटे की आपूर्ति:

फोर्टीफाइड आटे के उत्पादन एवं वितरण की व्यापक कार्ययोजना तैयार करने हेतु दिनांक 12.03.2015 तथा 03.09.2015 को प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित की गई। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 09.10.2015 की मीटिंग में प्रगति की समीक्षा की गई। मीटिंग में खाद्य सुरक्षा के तहत लाभान्वित परिवारों को 10 किलों की दर से आपूर्ति करने, गेंहू की पिसाई एवं फोर्टीफिकेशन आदि के अतिरिक्त संभावित व्यय भार रू. 2.50 प्रति किलो को केन्द्र सरकार के दिनांक 03.11.2014 के परिपत्र के अनुसार लाभार्थियों द्वारा वहन करने, निर्धारित क्षमता की आटा मिलों का चयन, क्षेत्र/जिलों का चयन, गुणवत्ता आदि विषयों पर चर्चा की गई।